<u>महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल,</u>
<u>पूर्वी ब्लॉक-7, तल-4, सेक्टर-1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, पिन-110066</u>
(गृह मंत्रालय) भारत सरकार

हेल्पलाइन सं. 011-26160255 वेबसाइट - www.crpf.gov.in

विज्ञापन सूचना

केरिपुबल में सिपाही(तकनीकी और ट्रेड्समैन) (पुरुष/महिला)-2023 के पद के लिए भर्ती।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	27/03/2023
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	25/04/2023
कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी	20/06/2023 से 25/04/2023
कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि (अनंतिम)	01/07/2023 से 13/07/2023

सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है और जिसमें महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही(तकनीकी और ट्रेड्समैन) की रिक्तियों को भरने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भर्ती नियमों/योजना के अनुसार केरिपुबल पुरुष और महिला अभ्यर्थी**,** जो सामान्य रूप से अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निवासी हैं**,** के लिए निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय नागरिकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा।

2. इस भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, शारीरिक मापतौल परीक्षा(पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षा(पीईटी), ट्रेड टेस्ट, दस्तावेजों की जांच, चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

2.1 आवेदन केवल **ऑनलाइन** ही स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है। आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य प्रणाली की अनुमति नहीं है।

2.2 भर्ती अधिवास आधारित पैटर्न पर आयोजित की जाएगी ।

2.3 कंप्यूटर आधारित टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा।

2.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा/शारीरिक मापतौल परीक्षा (पीएसटी)/शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ट्रेड टेस्ट/दस्तावेज़ सत्यापन/विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई)/पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) केरिपुबल द्वारा निर्धारित और आयोजित किए जाएंगे।

2.5 अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे और केरिपुबल द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के समय उनका सत्यापन किया जाएगा।

2.6 सिपाही(तकनीकी/ट्रेड्समैन) की श्रेणीवार रिक्तियां विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएंगी। अंतिम चयन सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

2.7 पीएसटी/पीईटी/ट्रेड टेस्ट/चिकित्सा परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने और भर्ती सूचना में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर सीआरपीएफ द्वारा सीबीटी में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।

2.8 परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड

करने की सुविधा केरिपुबल की वेबसाइट http://www.crpf.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा कार्यक्रम के अपडेट के लिए नियमित रूप से केरिपुबल की वेबसाइट देखते रहें और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।

2.9 अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक चरण के समय प्रवेश पत्र का दो रंगीन प्रिंट आउट लाना चाहिए। प्रवेश पत्र की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर सौंपी जाएगी।

3. **वेतनमान :** वेतन स्तर-3 (रु. 21,700 - 69,100)

4. **रिक्तियां :**

9212 (पुरुष-**9105** और महिला-10**7**) रिक्तियों को सिपाही(तकनीकी/ट्रेड्समैन) भर्ती- 202**3** के माध्यम से भरा जाना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ट्रेड/पद-वार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

पुरुष पदों की रिक्तियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चालक	मोटर मैकेनिक वाहन	मोची	बढ़ई	दर्जी	ब्रास बैंड	पाइप बैंड	बिगुलर	माली	पेंटर	रसोइया / वाटर कैरियर	धोबी	नाई	सफाई कर्मचारी	**कुल योग**
आंध्र प्रदेश	145	22	7	5	13	6	2	56	5	3	99	16	12	33	424
अरुणाचल प्रदेश	8	4	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	1	18
असम	47	70	3	3	5	4	1	35	2	2	62	11	8	22	275
बिहार	177	27	12	12	16	14	4	114	8	5	209	34	25	69	726
छत्तीसगढ़	47	29	4	3	4	3	1	28	2	1	51	8	6	17	204
गोवा	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	1	11
गुजरात	98	22	7	7	10	8	3	66	5	3	121	20	15	40	425
हरियाणा	37	1	3	3	4	3	1	28	2	1	51	9	6	17	166
हिमाचल प्रदेश	10	0	1	1	1	1	0	8	0	0	14	2	2	5	45
झारखंड	110	19	3	4	6	4	1	36	2	1	66	11	8	22	293
कर्नाटक	117	25	11	8	12	8	3	66	4	3	122	21	19	41	460
केरल	54	13	5	5	10	4	1	41	3	3	70	12	10	23	254
मध्य प्रदेश	112	17	8	8	12	11	4	79	5	3	145	24	18	48	494
महाराष्ट्र	169	14	12	12	19	15	4	123	8	4	224	38	28	75	745
मणिपुर	16	15	0	0	1	1	0	3	0	0	6	1	1	2	46
मेघालय	17	7	3	0	2	1	0	8	1	1	8	3	2	4	57
मिजोरम	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	11
नगालैंड	44	13	3	0	8	9	0	6	1	2	4	2	0	1	93
ओडिशा	75	11	5	5	7	5	2	46	3	2	84	14	10	28	297

पंजाब	72	22	3	4	5	7	1	30	2	1	56	9	7	19	238
राजस्थान	100	23	7	7	11	8	3	75	5	2	137	23	16	46	463
सिक्किम	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
तमिलनाडु	176	27	12	9	17	10	4	79	6	3	144	24	19	49	579
तेलंगाना	92	15	7	4	9	6	1	41	4	2	73	12	10	25	301
त्रिपुरा	11	11	0	2	1	1	0	4	1	0	7	1	1	2	42
उत्तर प्रदेश	290	56	20	22	33	26	9	217	14	8	398	66	48	133	1340
उत्तराखंड	19	2	1	1	2	1	0	11	1	0	20	3	3	7	71
पश्चिम बंगाल	220	33	10	10	14	12	5	99	6	3	182	30	22	61	707
चंडीगढ़	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	8
दिल्ली	29	11	2	2	3	2	1	18	1	1	34	5	4	11	124
जम्मू कश्मीर	64	30	2	2	17	2	0	14	1	2	26	4	3	8	175
पुदुचेरी	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	1	9
कुल योग	2372	544	151	139	242	172	51	1340	92	56	2429	403	303	811	9105

महिला पद की रिक्तियां

राज्य का नाम	बिगुलर	रसोइया	वाटर कैरियर	धोबी महिला	हेयर ड्रेसर	सफाई कर्मचारी	ब्रास बैंड	कुल योग
आंध्र प्रदेश	1	2		0	0	0	1	04
असम	0	1		0	0	0	1	02
बिहार	3	3		0	0	1	2	09
छत्तीसगढ़	0	1		0	0	0	1	02
गुजरात	1	3		0	0	1	1	06
हरियाणा	0	1		0	0	0	1	02
झारखंड	1	1		0	0	0	1	03
कर्नाटक	1	3		0	0	1	1	06
केरल	0	3		0	0	1	1	05
मध्य प्रदेश	1	2		1	0	0	1	05
महाराष्ट्र	1	5		0	0	1	2	09
मणिपुर	0	1		0	0	0	0	01
नगालैंड	0	1		0	0	0	0	01
ओडिशा	1	1		1	0	1	1	05
पंजाब	1	1		0	0	0	1	03
राजस्थान	1	2		0	0	1	1	05
तमिलनाडु	3	6		1	0	3	1	14
तेलंगाना	1	2		0	0	2	1	06

उत्तर प्रदेश	3	5	0	1	1	4	14
पश्चिम बंगाल	1	2	0	0	0	2	05
कुल योग	**20**	**46**	**3**	**1**	**13**	**24**	**107**

नोट :

1. उपरोक्त रिक्तियों में पिछली भर्ती की बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं।
2. प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित रिक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-ए पर उपलब्ध है।
3.

4(ए) पायनियर विंग के लिए रिक्तियां:

11 (पुरुष) रिक्तियों को कांस्टेबल (पायनियर) सिपाही(तकनीकी/ट्रेड्समैन) भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। इन रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाना है । ट्रेड/पद वार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

ट्रेड/पद	सामान्य	सामान्य (भूतपूर्व सैनिक)	ईडब्ल्यूएस	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (भूतपूर्व सैनिक)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (भूतपूर्व सैनिक)	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (भूतपूर्व सैनिक)	कुल
सिपाही/ मेसन	2	0	1	2	0	1	0	0	0	06
सिपाही / प्लम्बर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	01
सिपाही / इलेक्ट्रीशिय	2	0	0	1	0	1	0	0	0	04
कुल	05	0	01	03	0	02	0	0	0	11

4(ए).1 भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए 10% रिक्तियां उद्दिष्ट निर्धारित की गई हैं। यदि उपयुक्त भू.पू.सै. अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो भू.पू.सै. के लिए आरक्षित रिक्तियों को संबंधित श्रेणी के गैर-भू.पू.सै. अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

4(ए).2 चूंकि केरिपुबल में रिक्तियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उद्दिष्ट की गई हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन/विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा दर्शाए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर उसका/उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी और अभ्यर्थी को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन में उल्लेखित के अलावा किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अधिवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (पीआरसी) प्रस्तुत करता है, तो उसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय राज्य बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म बहुत सावधानीपूर्वक भरना चाहिए।

4(ए).3 ये रिक्तियां अनंतिम हैं। रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन की सूचना सीआरपीएफ की वेबसाइट www.crpf.gov.in के माध्यम से दी जाएगी।

4(ए).4 पैरा 4 (ए) पर दर्शाई गई रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाना है और किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है । ट्रेड/पद बार मेरिट सूची अखिल भारतीय स्तर पर अलग से तैयार की जाएगी ।

4(ए).5 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

5. **<u>राष्ट्रीयता/नागरिकता :</u>**

अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना चाहिए। रिक्तियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार हैं, इसलिए, अभ्यर्थी को अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित अधिवास/पीआरसी प्रस्तुत करना होगा।

6. **<u>आयु सीमा:</u>**

6.1 सिपाही(चालक): दिनांक 01/08/2023 को 21-27 वर्ष। अभ्यर्थियों का जन्म 02/0**8**/1996 से पहले और 01/08/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए।

6.2 **सिपाही(एमएमवी/मोची/बढ़ई/दर्जी/ ब्रास बैंड/ पाइप बैंड/बिगुलर/माली/पेंटर/ रसोइया/वाटर कैरियर/धोबी/नाई/ सफाई कर्मचारी/**मेसन / प्लम्बर / इलेक्ट्रीशियन**:** दिनांक 01/0**8**/2023 को 18-23 वर्ष। अभ्यर्थियों का जन्म 02/0**8**/2000 से पहले और 01/0**8**/2005 के बाद नहीं होना चाहिए ।

6.3 **<u>विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नानुसार है:</u>**

क्र.सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से परे अनुमेय आयु-छूट
01	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
02	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
03	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष।
04	1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (अनारक्षित)	5 वर्ष
05	1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (ओबीसी)	8 वर्ष
06	1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (अ.जा./अ.ज.जाति)	10 वर्ष

नोट-1:- दिव्यांग व्यक्तियों/पीडब्ल्यूडी अर्थात एचएच, ओएच, वीएच या ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों को उपर्युक्त वर्णित पदों की किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। इसलिए, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट-2:- ओबीसी की केंद्रीय सूची के लिए, अभ्यर्थी एनसीबीसी की वेबसाइट देख सकते हैं।

6.4 केरिपुबल द्वारा आयु निर्धारण के लिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा गया नाम और जन्म तिथि वही हो जो मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है, स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.5 ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) जो अपने पुन: रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के तौर पर दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद नियमित आधार पर सरकार के अधीन सिविल पदों पर रोजगार पहले ही अर्जित कर चुके हैं, वे भू.पू.सै.(ईएसएम) श्रेणी और शुल्क रियायत में आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, वह बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, यदि वह सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-Estt(Res) में वर्णित किए गए अनुसार प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पूर्व, जिसके लिए उसने आवेदन किया था, विभिन्न रिक्ति पदों के लिए आवेदन का तिथि-वार विवरण के विषय में नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन देता है ।

6.6 सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि को भी आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

6.7 भारत संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाएगा। उसे इस पद/सेवा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के प्रासंगिक समय पर **भूतपूर्व सैनिक का दर्जा**, पहले ही प्राप्त होना चाहिए या वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी सबूत के साथ अपनी अर्जित पात्रता को स्थापित करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से निर्धारित एक वर्ष की अवधि के भीतर सशस्त्र बलों में निर्दिष्ट अवधि को पूरा कर लेगा। भूतपूर्व सैनिकों की पात्रता के मुद्दे पर निर्णय माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली की रिट याचिका © संख्या 520/2020 दिनांक 01/12/2020 के निर्णय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के तहत शासित होगा।

6.8 **स्पष्टीकरण :** एक 'भूतपूर्व सैनिक' का आशय उस व्यक्ति से है:

6.8.1 जो योद्धक या गैर-योद्धक के रूप में भारतीय संघ की सेना, नौसेना या वायु सेना में नियमित रूप से किसी भी पद पर सेवा की हो, और

ए) जिसे अपने स्वयं के अनुरोध पर इस प्रकार की सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवा-मुक्त किया गया हो या पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया जा रहा हो, या

बी) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर इस प्रकार की सेवा से कार्य-मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई है; या

सी) जिसे संस्थान द्वारा छंटनी करने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो।

या

6.8.2 जिसे अनुबंध की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया है**,** किंतु उनके स्वयं के अनुरोध पर, या पदच्युति के माध्यम से, या कदाचार या अदक्षता के कारण सेवामुक्त न किया गया हो और जिन्हें ग्रेच्युटी प्रदान की गई है तथा जिनमें प्रादेशिक सेना के कार्मिकों, संगठित सेवा के लिए निरंतर पेंशन पाने वाले या अर्हक सेवा का खंडित अवधि वाले भी शामिल हैं;

या

6.8.3 सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है और चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई है।

या

6.8.4 कार्मिक, जो 14 अप्रैल,1987 से पूर्व छह माह से अधिक के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे।

या

6.8.5 सशस्त्र बलों के कार्मिकों सहित प्रादेशिक सेना के शौर्य पुरस्कार विजेता।

या

6.8.6 भूतपूर्व रंगरूट जिसे चिकित्सीय आधार पर सेवा से बोर्ड आउट या कार्यमुक्त कर दिया

गया हो और चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्रदान की गई हो।

6.9.1 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवानिवृत्त होने पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे, को नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने और उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी, इन्हें तब तक सेवा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में अनुबंध की निर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

6.9.2 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट/आरक्षण ग्राह्य नहीं है। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों को भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने वर्ग का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

6.10.1 बच्चों से तात्पर्य है:
पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) या
पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)

6.10.2 आश्रित परिवार के सदस्य से तात्पर्य है:
पति-पत्नी या
बच्चे या
अविवाहित पीड़ित के मामले में भाई या बहन जो दंगों में मारे जाने के समय उस पीड़ित पर पूरी तरह आश्रित थे, पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में ऊपरी आयु-सीमा में छूट के लिए पात्र होने हेतु, आवेदक को संबंधित जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में पीड़ित की मृत्यु हुई थी।

7. प्रमाणीकरण(सर्टिफिकेशन) की प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों का प्रारूप :

7.1 वे अभ्यर्थी जो चाहते हों कि आरक्षित रिक्तियों के एवज में उन पर विचार हो या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के समय केरिपुबल द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन पर अनारक्षित(यूआर) श्रेणी के अंतर्गत विचार किया जाएगा। आगे, यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य आयु-छूट की मांग की है या भू.पू.सै. (ईएसएम) दर्जा का दावा किया है और प्रासंगिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उसे अपनी संबंधित श्रेणी अर्थात अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित में माना जाएगा। प्रमाण-पत्रों के प्रारूप परीक्षा की सूचना के साथ संलग्न हैं। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

7.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति से संबंधित अभ्यर्थी को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर एक विकल्प का चुनाव करना होगा कि क्या मूल राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है या प्रवासन राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होना है। इस तरह के विकल्प का प्रयोग अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद इस तरह के विकल्प को बदलने का कोई अनुरोध केरिपुबल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प देता है, तो उसे आवेदन पत्र में अपने मूल राज्य के साथ-साथ अपने वर्तमान अधिवास के राज्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और उसके मूल राज्य से उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा।

7.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस श्रेणी का दावा करने के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम होगी।

7.4 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र है और वह निर्णायक तिथि को संपन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) में नहीं आता है। इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

7.5 अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यवादिता सत्यापित किए जाने तक उनकी उम्मीदवारी अस्थाई (प्रोविजनल) रहेगी। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/भू.पू.सै.की स्थिति का दावा करते हैं या अन्य कोई लाभ लेते हैं, तो उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा ।

7.6 सक्षम प्राधिकारी जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दस्तावेज़ के समय उनकी अधिवास स्थिति को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा जारी वैध "अधिवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (पीआरसी)" प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थियों को उनके संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, ऐसा न होने पर उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। अधिवास/पीआरसी प्रमाण पत्र उसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का होना चाहिए, जिसे अभ्यर्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाया है, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

7.7 चूंकि असम राज्य अधिवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर रहा है, इसलिए असम राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों को इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों से निवास की स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा।

8. <u>शैक्षिक योग्यता (दिनांक 01/08/2023 को)</u>

8.1 प्रत्येक ट्रेड/पद की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता निम्नानुसार है:

सिपाही/चालक	शैक्षिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम मैट्रिक या समकक्ष।
	तकनीकी योग्यता	हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए।
सिपाही/मोटर- वाहन मैकेनिक	शैक्षिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष।
	तकनीकी योग्यता	राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर-वाहन मैकेनिक में 02 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाण-पत्र और संबंधित ट्रेड में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर-वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण-पत्र और संबंधित ट्रेड में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए	शैक्षिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम मैट्रिक या समकक्ष या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष सैन्य योग्यता।
	तकनीकी योग्यता	संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए।
(पायनियर विंग) सिपाही(मेसन / प्लम्बर / इलेक्ट्रीशियन	शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष।
	तकनीकी योग्यता	(क) संबंधित ट्रेडों मेसनरी या प्लंबिंग या इलेक्ट्रीशियन में एक वर्ष का अनुभव । (ख) मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।

8.2 जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित तिथि के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं की है, वह पात्र नहीं होगा और उसे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

8.3 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10/06/2015 के अधिसूचना के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल, संस्थानों के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों और संसद के अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए रोजगार के उद्देश्य से स्वतः मान्यता प्राप्त हो जाते हैं बशर्ते कि उन्हें दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो। तदनुसार, जब तक कि ऐसी डिग्रियों को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी जाती है जब अभ्यर्थियों ने योग्यता हासिल की थी, उन्हें शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8.4 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों को मैट्रिक पास करने के संबंध में प्रासंगिक प्रमाण पत्र जैसे अंकपत्र, अनंतिम प्रमाण पत्र आदि मूल रूप से कट ऑफ तिथि या उससे पहले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में सक्षम हैं कि अर्हता परीक्षा का परिणाम कट ऑफ तिथि को या उससे पहले घोषित किया गया था और उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया था, तो उनके बारे में भी माना जाएगा की शैक्षिक योग्यता को पूरी कर ली है। यह दोहराया जाता है कि अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का परिणाम बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक घोषित किया जाना चाहिए। कटऑफ तिथि तक बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा परिणाम की प्रक्रिया केवल शैक्षिक योग्यता आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

9. **<u>आवेदन कैसे करें/आवेदन करने के चरण</u>** :

9.1 आवेदन सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में जमा किया जाए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने संबंधी विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञापन के अनुलग्नक-I को देखें।

9.2 अभ्यर्थी पद/ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

9.3 आवेदन पोर्टल दिनांक 27/03/2023 से 25/04/2023 तक चालू रहेगा।

9.4 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण सीआरपीएफ की वेबसाइट पर लॉगिन करने में डिसकनेक्सन/असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।

9.5 उपरोक्त या किसी अन्य कारणों से जो सीआरपीएफ के नियंत्रण से बाहर होने के कारण अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा करने में सक्षम न होने पर सीआरपीएफ इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9.6 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले ,अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक फील्ड में सही विवरण भरा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद ,किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक ,फैक्स ,ईमेल ,दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. **आवेदन शुल्क:**

केवल सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए @100/- रुपये की दर से परीक्षा शुल्क होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को छूट दी गई है।

10.1 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में नकद के माध्यम से चालान बनाकर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

10.2 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और तुरंत खारिज कर दिए जाएंगे। ऐसी अस्वीकार अभ्यावेदन के खिलाफ किसी भी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10.3 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क जमा हो गया है। यदि सीआरपीएफ द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं किया जाता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति '**अपूर्ण' के रूप में दिखाई जाती है** और यह जानकारी आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होती है । इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी की लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरे रह जाते हैं, उन्हें तुरंत पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे आवेदनों पर विचार करने और परीक्षा की सूचना में निर्दिष्ट अवधि के बाद शुल्क भुगतान के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. कंप्यूटर आधारित परीक्षा का केंद्र/शहर:

11.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से तीन (3) विकल्प/पसंद केंद्र के रूप में सूचित करने होंगे (सूची लंबवत रूप से (वर्टिकली) पढ़ी जाए) :

आंध्र प्रदेश	जामनगर	अमरावती	करूर
अमलापुरम	मेहसाना	अकोला	मदुरै
अनंतपुर	राजकोट	औरंगाबाद	सलेम
बोब्बिली	सूरत	बारामती	थेनी

चिराला	वडोदरा	भिवंडी	तिरुचिरापल्ली
चित्तूर	वलसाड	बोईसर	तिरुनलवेली
एलुरु	वापी	धुले	तिरपुर
गूटी	**हरियाणा**	इचलकरंजी	वेल्लोर
गुद्लावेल्लेरू	अंबाला	जलगांव	**तेलंगाना**
गुंटूर	फरीदाबाद	कोल्हापुर	आदिलाबाद
कडपा	**हिमाचल प्रदेश**	कोपरगांव	हैदराबाद
काकीनाड़ा	बिलासपुर	लातूर	करीमनगर
कुरनूल	हमीरपुर	मुंबई	खम्मम
मदनपल्ली	मंडी	नागपुर	कोडाद
मरकापुर	नाहन	नांदेड़	कोठागुडेम
नांदयाल	**जम्मू और कश्मीर**/ लद्दाख	नासिक	महबूबनगर
नेल्लोर	जम्मू	पंढरपुर	नलगोंडा
प्रोद्दातुर	सांबा	पुणे	नरसेमपेट
पुट्टपर्ती	श्रीनगर	रायगड	निजामाबाद
पुत्तूर	**झारखंड**	सांगली	साथुपल्ली
राजमुंदरी	धनबाद	सतारा	सूर्यापेट
श्रीकाकुलम	हजारीबाग	सिंधुदुर्ग	वारंगल
तड़पत्री	जमशेदपुर	सोलापुर	वारंगल (शहरी)
तिरुपति	रांची	ठाणे	**त्रिपुरा**
तिरुवुरु	**कर्नाटक**	**मणिपुर**	अगरतला
विजयवाड़ा	बागकोट	इंफाल	**उत्तर प्रदेश**
विशाखापत्तनम	बल्लारी (बेली)	उखरूल	आगरा
विजयनगरम	बेलगावी (बेलगाम)	**मेघालय**	अलीगढ़
अरुणाचल प्रदेश	बेंगलुरु	शिलांग	अयोध्या
नाहरलगुन	बीदर	**मिजोरम**	गोंडा
पंपम पारे	चिबलापुर	आइजोल	गोरखपुर
असम	चिक्कामगलुरु	**नगालैंड**	झांसी
डिब्रूगढ़	दावनगेरे	दीमापुर	कानपुर
गुवाहाटी	धारवाड़	कोहिमा	गाज़ियाबाद
जोरहाट	गुलबर्गा	**ओडिशा**	मेरठ
लखीमपुर	हसन	बालासोर	नोएडा
सिलचर	हुबबली (हुबली)	बेरहामपुर - गंजम	बरेली
तेजपुर	कालबुर्गी (गुलबर्गा)	भुवनेश्वर	लखनऊ
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	मंगलुरु (मैंगलोर)	कटक	मथुरा
पोर्ट ब्लेयर	मैसूर (मैसूर)	ढेंकनाल	मुरादाबाद
बिहार	पुत्तूर	राउरकेला	मुजफ्फरनगर
आरा	शिवमोग्गा (शिमोगा)	संबलपुर	प्रतापगढ़

दरभंगा	तुमकुरु (तुमकुर)	**पंजाब**	प्रयागराज
भागलपुर	उडुपी	अमृतसर	सीतापुर
मुजफ्फरपुर	**केरल**	भटिंडा	वाराणसी
पटना	अलपुझा	जालंधर	**उत्तराखंड**
पूर्णिया	एर्नाकुलम	लुधियाना	देहरादून
रोहतास	इडुक्की	मोहाली	हल्द्वानी
चंडीगढ़	कन्नूर	पटियाला	रुड़की
रायपुर खुर्द	कोल्लम	**राजस्थान**	**पश्चिम बंगाल**
छत्तीसगढ़	कोट्टायम	अजमेर	आसनसोल
भिलाई नगर	कोझिकोड	बीकानेर	बहरमपुर
बिलासपुर छ.ग.	मलप्पुरम	हनुमानगढ़	बांकुड़ा
दुर्ग	पलक्कड	जयपुर	बर्दवान
रायपुर	तिरुवनंतपुरम	जोधपुर	दुर्गापुर
दिल्ली	त्रिशूर	कोटा	हुगली
नई दिल्ली	**मध्य प्रदेश**	सीकर	हावड़ा
गोवा	भोपाल	**सिक्किम**	कल्याणी
पणजी	इंदौर	गंगटोक	कोलकाता
गुजरात	जबलपुर	**तमिलनाडु**	सिलीगुड़ी
अहमदाबाद	सतना	चेन्नई	सूरी
आनंद	उज्जैन	कोयंबटूर	
गांधीनगर	**महाराष्ट्र**	कुड्डालोर	
हिम्मतनगर	अहमदनगर	इरोड	

टिप्पणी-:

ए) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, आवेदक को परीक्षा के लिए अपनी पसंद के शहर के बारे में सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

बी) अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए तीन शहरों में से किसी एक में समायोजित किया जा सकता है।

सी) परीक्षा का शहर, एक बार चुने जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा।

डी) किसी विशेष शहर में अधिक आवेदन/कम आवेदन प्राप्त होने के मामले में, अभ्यर्थियों को पास के शहर में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

ई) उपरोक्त परीक्षा केंद्र केवल सीबीटी के लिए हैं। भर्ती के अगले चरणों के लिए परीक्षा केंद्र को निकटतम केरिपुबल कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

12. परीक्षा योजना :

12.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा : कंप्यूटर आधारित टेस्ट में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी:

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि / अनुमत समय
ए	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति	25	25	
बी	सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता	25	25	02 घंटे

सी	सामान्य गणित	25	25	
डी	अंग्रेजी/हिंदी	25	25	

12.1.1 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। सीबीटी केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा।

12.1.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें।

12.1.3 सीबीटी की तिथि और केंद्र के बारे में अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र के माध्यम से सीआरपीएफ की वेबसाइट से सूचित किया जाएगा।

12.1.4 प्राप्त अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

12.1.5 अभ्यर्थियों द्वारा सीबीटी में प्राप्त अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम मेरिट और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

12.1.6 सीबीटी में प्रश्न मैट्रिक स्तर के होंगे।

12.1.7 प्रवेश पत्र के गो-लाइव होने के बाद अभ्यर्थियों को सीबीटी से परिचित कराने के लिए सीआरपीएफ की वेबसाइट पर कैंडिडेट्स कॉर्नर में मॉक टेस्ट लिंक उपलब्ध होगा।

12.1.8 अभ्यर्थियों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर नहीं लाना चाहिए।

12.1.9 परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार होगा:

12.1.9.1 सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति: विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और अलग करने की क्षमता का परीक्षण मुख्य रूप से आशाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में समरूपता, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, आशाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग आदि पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं।

12.1.9.2 सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता : इस घटक में प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षा करना होगा। प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के ऐसे मामलों के अवलोकन और उनके वैज्ञानिक पहलू में अनुभव के परीक्षा के लिए भी तैयार किया जाएगा, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि इनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

12.1.9.3 **प्राथमिक गणित** : इस प्रश्न पत्र में नंबर सिस्टम से संबंधित समस्याओं, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य आदि पर प्रश्न शामिल होंगे।

12.1.9.4 **अंग्रेजी/हिंदी** : अभ्यर्थी की बुनियादी अंग्रेजी/हिंदी समझने की क्षमता और उसकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा।

12.2 **<u>शारीरिक मानक जाँच</u>** (**<u>पीएसटी</u>**) **:** पीएसटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी/ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। सिपाही (तकनीकी/ट्रेड्समैन) के पद के लिए शारीरिक मानक इस प्रकार हैं**:**

12. 2.1 **लंबाई** :

पुरुष	महिला
170 सेमी	157 सेमी

12.2.1.1 **जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों को लंबाई में छूट की अनुमति दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में छूट का मानक इस प्रकार हैं**:

क्र.सं	**के लिए छूट**	**पुरुष** (सेमी)	**महिला** (सेमी)
(ए)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	162.5	150.0
(बी)	पूर्वोत्तर राज्यों (एनई राज्य) के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	157.0	147.5
(सी)	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	160.0	147.5
(डी)	गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी	165.0	155.0
(इ)	पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थी	162.5	152.5
(एफ)	गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) से आने वाले अभ्यर्थियों में दार्जिलिंग जिले के तीन उप-संभाग अर्थात् दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं और इन जिलों के निम्नलिखित "मौजा" उप-संभाग शामिल हैं: (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बारचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटाअदलपुर (7)पहारू (8)सुकना वन (9) सुकना भाग1- (10)पंतापति वन-1 (11) महानदी वन	157.0	152.5

	(12) चंपासारी वन (13) सालबारीछत भाग-॥ (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल फॉरेस्ट (16) सिवोक फॉरेस्ट (17) छोटा चेंगा (18)निपनिया।		

12.2.1.2 **<u>छाती</u> : पुरुष अभ्यर्थियों** के सीने के माप के निम्नलिखित मानक होने चाहिए:
12.2.1.3 बिना फुलाये : 80 सेमी
12.2.1.4 न्यूनतम फैलाव: 5 सेमी
12.2.1.5 कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सीना माप में छूट की अनुमति है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सीना माप के छूट में मानक इस प्रकार हैं**:**

क्र.सं	**के लिए छूट**	बिना फुलाये **(** सेमी)	न्यूनतम फैलाव (सेमी)
(ए)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	76	5
(बी)	गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी	78	5
(सी)	पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थी एवं गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) से आने वाले अभ्यर्थियों में दार्जिलिंग जिले के तीन उप-संभाग अर्थात् दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं और इन जिलों के निम्नलिखित "मौजा" उप-संभाग शामिल हैं: (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बारचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटाअदलपुर (7)पहारू (8)सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10)पंतापति वन-1 (11) महानदी वन (12) चंपासारी वन	77	5

	(13) सालबारीछत भाग-II (14) सितोंग वन (15)सिवोक हिल फॉरेस्ट (16) सिवोक फॉरेस्ट (17)छोटा चेंगा (18)निपनिया।		

12.2.1.6 महिला अभ्यर्थियों के सीने का माप नहीं लिया जाएगा।

12.3 सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही भर्ती के अगले चरण यानी पीएसटी/पीईटी/ट्रेड टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा जो सीआरपीएफ के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के समय अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसलिए, सीबीटी/पीएसटी/पीईटी/ट्रेड परीक्षा में उपस्थित होने से पहले समय-समय पर इस नोटिस में निर्धारित पात्रता को सत्यापित करना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी। पीएसटी/पीईटी के लिए चुने गए गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीएसटी/पीईटी/ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। पीएसटी में लंबाई, वजन, सीना (जैसा लागू हो) का माप शामिल है।

12.3.1 पीएसटी/पीईटी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में चुने गए भूतपूर्व सैनिकों को केवल लंबाई, सीना और वजन की माप के लिए पीएसटी/पीईटी में उपस्थित होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीएसटी/पीईटी में पूर्ण छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीईटी आयोजित नहीं किया जाएगा। **हालांकि, उन्हें ट्रेड टेस्ट और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।**

12.4 **शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)**: अभ्यर्थियों को निम्नलिखित समय सीमा के भीतर पीईटी (दौड़) उत्तीर्ण करना होगा:

पद/ ट्रेड	पुरुष	महिला	टिप्पणियाँ
सिपाही/चालक सिपाही /मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही/माली, सिपाही/पेंटर, सिपाही /बढ़ई, सिपाही/ब्रास बैंड, सिपाही/पाइप बैंड, सिपाही/मोची, सिपाही/दर्जी और सिपाही /बिगुलर	24 मिनट में 05 किमी	8.30 मिनट में 1.6 किमी	लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए।
सिपाही/कुक/जलवाहक, सिपाही/ नाई और सिपाही/हेयर ड्रेसर, सिपाही/धोबी और सिपाही/धोबी महिला, सिपाही/सफाई कर्मचारी	10 मिनट में 1.6 किमी	12 मिनट में 1.6 किमी	लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए।
(**पायनियर विंग के लिए**) सिपाही / मेसन, सिपाही / प्लम्बर, सिपाही / इलेक्ट्रीशियन	09 मिनट में 1.6 किमी	--	सभी अभ्यर्थियों के लिए।
(**पायनियर विंग के लिए**) सिपाही / मेसन, सिपाही / प्लम्बर, सिपाही / इलेक्ट्रीशियन	05 मिनट में 800 मीटर	--	लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

नोट - सिपाही (तकनीकी एवं ट्रेड्समेन) के लिए लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां उपलब्ध नहीं है।

12.4.1 एक महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षणों के परिणामस्वरूप गर्भवती पाई जाती है, भले ही गर्भावस्था की अवधि कितनी भी हो, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसकी नियुक्ति तब तक रोकी जा सकती है जब तक कि प्रसूति समाप्त नहीं हो जाती। जिस पद के लिए महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया है, उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसूति की तारीख के छह सप्ताह बाद एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए उसकी फिर से जांच की जानी चाहिए। यदि वह फिट पाई जाती है तो उसे आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है और समय-समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है।

12.4.2 अभ्यर्थी, जो दौड़ में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें बोर्ड के पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए अस्वीकृति पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा।

12.4.3 लंबाई/सीना/वजन आदि में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने पीएसटी/पीईटी में अर्हता प्राप्त की है, उन उम्मीदवारों के दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच भी इस चरण में की जाएगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दावे के समर्थन में संबंधित दस्तावेज साथ रखें।

12.4.4 अभ्यर्थियों को कम से कम एक फोटो युक्त पहचान प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड मूल रूप में लाना होगा।

12.5 <u>**वजन**</u> : चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु के अनुपात में।

12.6 पीएसटी के दौरान छूट अर्थात ऊंचाई और छाती माप के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी। पीईटी (दौड़) केवल उन अभ्यर्थियों के संबंध में आयोजित की जाएगी जो पीएसटी चरण में अर्हता प्राप्त करते हैं । अनु. जनजाति वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है लंबाई और सीना में छूट (जैसा मामला हो) केवल सक्षम प्राधिकारियों से **अनुबंध** _**VI-**में निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत होगा। अनु. जनजाति अभ्यर्थी वैध अनु.जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

12.7 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों यानी लंबाई और सीना में योग्य घोषित नहीं किया गया है, यदि वे चाहें तो उसी दिन पीठासीन अधिकारी (पीओ) द्वारा सेंटर के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई और अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पीईटी (दौड़) में कोई अपील नहीं है ।

12.8 <u>**ट्रेड टेस्ट**</u> :

12.8.1 सीबीटी, पीएसटी और पीईटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल से अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ।

12.8.2 ट्रेड टेस्ट, व्यावहारिक मूल्यांकन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और अर्हता

प्राप्त करने के लिए होगी। 50 अंकों की प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थी को अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से 20 अंक प्राप्त करने होंगे।

1 2.8.3 ट्रेड टेस्ट के दौरान, अभ्यर्थी को उस विशेष ट्रेड/पद से संबंधित किसी गतिविधि को करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है/आवेदन किया है। प्रत्येक ट्रेड/पद के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

i	चालक	ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान। हल्के और भारी वाहनों इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव ।
ii	फिटर	ऑटोमोबाइल फिटर/मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान। औजारों को संभालना इत्यादि।
iii	बिगुलर	बिगुल बजाना, संभालना और रखरखाव करना
iv	दर्जी	कार्मिकों का माप लेना, टेरी कॉटन वर्दी/सिविल कपड़ों को काटना/सिलाई करना। गर्म कपड़े/वर्दी इत्यादी की कटिंग/सिलाई करना।
v	मोची	उसके अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों की पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत और सिलाई करना। नए जूते बनाना।
vi	बढ़ई	औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग, सामग्रियों का पॉलिश और फिनिशिंग करना, दरवाजों और खिड़कियों को फिटिंग करने का ज्ञान/खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाने का ज्ञान। लकड़ी के बक्से, रैक और लकड़ी का ट्रस बनाने में सक्षम।
vii	पेंटर	रंगों, पेंट्स, शेड्स, साइन बोर्ड की पेंटिंग, पेंटिंग और ड्राइंग/मोटर वाहन इत्यादि की स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान, विभिन्न पेंट्स/डिस्टेंपरिंग को मिलाकर कलर स्कीम का का ज्ञान। बैनरों और बोर्डों पर साफ-साफ अक्षर लिखने में सक्षम। वुड पेंटिंग और सीजीआई शीट पेंटिंग के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का पता लगाने में सक्षम।
viii	माली	पौधारोपण का ज्ञान, पौधों का रखरखाव, बीजों तथा उनके मौसम का ज्ञान, उर्वरकों और खाद की जानकारी।
ix	ब्रास बैंड	ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान।
x	पाइप बैंड	पाइप बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान।
xi	रसोइया /	100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल/ सब्जी/ दाल/ सांभर/इडली इत्यादि बनाना, मीट/मछली/अंडा/खीर बनाने का ज्ञान।
xii	जलवाहक	बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना तथा सब्जी इत्यादि काटना।

xiii	नाई / हेयर ड्रेसर(महिला)	नाई के लिए औजारों को संभालना, पुरुषों का बाल काटना और शेविंग करना तथा हेयर ड्रेसर (महिला) के लिए औजारों को चलाने, महिलाओं के बाल काटने की जानकारी।
xiv	धोबी(पुरूष/ महिला)	कपड़ों की धुलाई, खाकी सूती वर्दी, ऊनी और टेरिकॉटन वर्दी की इस्त्री।
xv	सफाई कर्मचारी	फर्श, खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना और शौचालयों, बाथरूम इत्यादि की सफाई करना।
xvi	मेसन (पायनियर)	राजगीरी के काम का ज्ञान, उपकरणों की हैंडलिंग, सीमेंट का मिश्रण, विशिष्ट निर्माण के लिए दीवार/स्तंभ के क्षेत्र की गणना का ज्ञान।
xvii	प्लम्बर (पायनियर)	प्लम्बरिंग कार्य, उपकरणों को चलाना, भवन की ऊंचाई के अनुसार पानी का दबाव, जीआई और पीवीसी पाइप का उपयोग, कोने में पाइप की फिटिंग, पाइप और नल को जोड़ने का ज्ञान।
xviii	इलेक्ट्रीशियन (पायनियर)	बिजली के काम का ज्ञान। एमसीबी की फिटिंग, प्लग/बल्ब/ ट्यूबलाइट /होल्डर्स की फिटिंग, 11000 वोल्ट और 440 वोल्ट की सप्लाई, अर्थिंग पैनल तैयार करना, जेनरेटर सेट की फिटिंग। तांबे और एल्यूमीनियम तार का प्रयोग।

12.9 **<u>दस्तावेज़ सत्यापन</u>** : **सीबीटी,** पीएसटी/पीईटी और ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल से दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अभ्यर्थी चुने जाएंगे।

12.9.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करते समय मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी साथ लेकर आएं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय, निम्नलिखित दस्तावेज़ों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा:-

12.9.1.1 आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए मैट्रिक/ माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र ।

12.9.1.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी)।

12.9.1.3 नोटिस के संलग्नक-II में निर्धारित प्रारूप में सेवारत रक्षा कार्मिकों से प्रमाण पत्र।

12.9.1.4 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से संलग्नक-III में निर्धारित प्रारूप में वचनबंध (अंडरटेकिंग)।

12.9.1.5 आरक्षण/आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों से नोटिस के संलग्नक -IV, संलग्नक -V और संलग्नक -VII में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यथा लागू)।

12.9.1.6 लंबाई/सीने की माप में छूट पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से नोटिस के संलग्नक -VI में निर्धारित प्रमाण पत्र।

12.9.1.7 नोटिस के पैरा 6.3 के अंतर्गत श्रेणी क्रम संख्या 04/05/06 में वर्णित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र ।

12.9.1.8 सिपाही/चालक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ड्राइविंग लाइसेंस।

12.9.1.9 सिपाही/एमएमवी (फिटर) पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आईटीआई प्रमाणपत्र/अनुभव प्रमाणपत्र।

12.9.1.10 <u>राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) द्वारा तीन महीने से अधिक के लिए एनएसक्यूएफ (नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) के तहत आयोजित प्रशिक्षण / शिक्षा कार्यक्रमों /</u>

पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रमाण पत्र या ।T। डिप्लोमा / प्रमाणपत्र (कोर्स और अनुभव) उन उम्मीदवारों के लिए जो सिपाही/चालक और सिपाही/एमएमवी के अलावा अन्य पदों/ट्रेडों के लिए आवेदन किया है ।

12.9.2 विस्तृत चिकित्सा जांच (डीएमई)

12.9.2.1 चुने गए (शॉर्टलिस्ट किए गए) अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सकीय फिटनेस का आकलन करने के लिए केरिपुबल द्वारा गठित चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सीय बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, सीएपीएफ और असम राइफल में राजपत्रित अधिकारी और गैर राजपत्रित अधिकारी की भर्ती के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 20/05/2015 के यूओ संख्या ए.छः-1/2014-भर्ती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31/05/2021 के का.ज्ञा. सं. ई.32012/एडीजी (चिकित्सा)/ डीएमई /आरएमई /डीए-1/2020 (भाग फाइल)/1166 के तहत जारी समान दिशानिर्देशों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

12.9.2.2 चिकित्सा परीक्षण (एक्स-रे और प्रयोगशाला) केवल उन अभ्यर्थियों के संबंध में आयोजित किए जाएंगे जो प्रारंभिक चिकित्सा जांच के बाद फिट पाए जाते हैं।

12.9.2.3 चिकित्सा परीक्षण के मामले में, "अस्थायी अयोग्यता" की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, एक महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षणों के परिणामस्वरूप गर्भवती पाई जाती है, भले ही गर्भावस्था की अवधि कितनी भी हो, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसकी नियुक्ति तब तक रोकी जा सकती है जब तक कि प्रसूति समाप्त नहीं हो जाती। जिस पद के लिए महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया है, उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसूति की तारीख के छ: सप्ताह बाद एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस के चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्राप्त करने के आधार पर विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए उसकी फिर से जांच की जानी चाहिए। यदि वह फिट पाई जाती है तो उसे आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जा सकता है और समय-समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है।

12.9.2.4 **विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को पुनरीक्षण चिकित्सा जाँच (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे अनुलग्नक-VIII के अनुसार अयोग्य होने के कारणों को इंगित करते हुए सूचना पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें। अभ्यर्थियों की आरएमई डीएमई की निरंतरता में डीएमई के अगले दिन आयोजित की जाएगी। अनुलग्रक-VIII के अनुसार आरएमई के लिए अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमति डीएमई में उसकी अनुपयुक्तता के बारे में सूचित किए जाने के बाद भारत सरकार/गृह मंत्रालय के दिनांक 31/05/2021 के का. ज्ञा. फा. सं.- ई. 32012/एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई व आरएमई/डीए-1/2020-(भाग-फ़ाइल)/1166 के अनुसार शीघ्र प्रस्तुत की जानी चाहिए।**

12.9.2.5 पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड निर्देशानुसार विशेष रूप से उस कमी के लिए अभ्यर्थी की जांच करेगा जिसके लिए डीएमई के दौरान अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया गया है।

12.9.2.6 यदि अभ्यर्थी आरएमई में फिट पाया जाता है, तो उसका नाम अंतिम योग्यता सूची / परिणाम तैयार करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट अभ्यर्थी के डेटा/सूची में शामिल किया जाएगा।

12.9.3 **नेत्र परीक्षण** :

सिपाही (चालक) के लिए नेत्र दृष्टि	वर्णाविगमन (कलर परसेप्सन) मानक सीपी-II होना चाहिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नए चिकित्सा दिशानिर्देशों में निहित है:		
	बिना किसी सहायता के दृष्टयता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आँख	एन6
		खराब आँख	एन9
	बिना सुधार की गई दृष्टतया तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	बेहतर आँख	6/6
		खराब आँख	6/6
	अपवर्तन (Refrection)	यहां तक की चश्मे के द्वारा भी किसी प्रकार भी प्रकार के दृश्य सुधार की अनुमति नहीं है।	
	रंगघता (Color Vision)	इसिहारा (ISIHARA) द्वारा **सीपी II**	
	अभ्युक्ति	बाईनोकुलर (Binocular) विजन अपेक्षित है।	
सिपाही (एमएमवी) के लिए नेत्र दृष्टि	वर्णाविगमन (कलर परसेप्सन) मानक CP-III होना चाहिए जैसा कि निम्नलिखित विवरणों सहित वर्ष 2015 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए चिकित्सा दिशानिर्देशों में निहित है:-		
	बिना किसी सहायता के दृष्टयता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आँख	एन6
		खराब आँख	एन9
	बिना सुधार की गई दृष्टतया तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	बेहतर आँख	6/6
		बिगड़ी हुई आँख	6/9
	अपवर्तन (Refrection)	यहां तक की चश्मे के द्वारा भी किसी प्रकार भी प्रकार के दृश्य सुधार की अनुमति नहीं है।	
	रंगघता (Color Vision)	इशिहारा (ISIHARA) द्वारा **सीपी III**	
	अभ्युक्ति	दाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, दायीं आँख बेहतर आँख और बाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, बायीं आँख बेहतर आँख होती है। - बाईनोकुलर (Binocular) विजन अपेक्षित है।	
सिपाही (चालक) व सिपाही (एमएमवी) को छोड़कर अन्य सभी पदों/ ट्रेडों के लिए आँखों की दृष्टि	वर्णाविगमन (कलर परसेप्सन) मानक सीपी- **IV** होना चाहिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नए चिकित्सा दिशानिर्देशों में निहित है:		
	बिना किसी सहायता के दृष्टयता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आँख	एन6
		खराब आँख	एन9
	बिना सुधार की गई दृष्टतया तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	बेहतर आँख	6/6
		खराब आँख	6/9
	अपवर्तन (Refrection)	➢ दूर दृष्टि हेतु किसी भी प्रकार के दृष्टि सुधार की अनुमति नहीं है। ➢ केवल निकट दृष्टि के लिए चश्में के साथ पढ़ने के योग्य होना चाहिए।	

	रंगघता (Color Vision)	इशिहारा (ISIHARA) द्वारा सीपी IV
	अभ्युक्ति	➢ दाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, दायीं आँख बेहतर आँख और बाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, बायीं आँख बेहतर आँख होता है। ➢ बाईनोकुलर (Binocular) विजन अपेक्षित है। न्यूनतम कलर परसेप्शन के तहत **लाल और हरे रंगों** की पहचान अपेक्षित है।
नोट: अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए न हो, चपटे तलवे, वैरिकोज़ वेन या भेंगी आँखें न हों। उम्मीदवार मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो ताकि ऊंचे पर्वतीय इलाकों तथा सीमा क्षेत्रों में जहां पर अत्यधिक खराब मौसम रहता है, पर ड्यूटी कर सके तथा ड्यूटियों के कुशलतापूर्वक निर्वहन में बाधा डालने की संभावना वाले किसी भी दोष से मुक्त होना चाहिए।		

13. **परीक्षा में प्रवेश** :

13.1 सभी अभ्यर्थी जो अंतिम तिथि और समय तक इस विज्ञापन के जवाब में खुद को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन वैध पाए जाते हैं और परीक्षा की इस सूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें रोल नंबर दिए जाएंगे और सीबीटी में उपस्थित होने के लिए एडमिट कार्ड (एसी) जारी किया जाएगा।

13.2 केरिपुबल पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से देखें और खुद को संतुष्ट करें कि वे इस पद/ट्रेड के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन और डीएमई के समय सहायक दस्तावेज़ों की प्रतियां मांगी जाएंगी। जांच के समय यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं होती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में केरिपुबल का निर्णय अंतिम होगा।

13.3 परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के अपडेट के लिए नियमित रूप से केरिपुबल की वेबसाइट देखते रहें ।

13.4 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की समय-सारणी और परीक्षा के शहर/केन्द्र की सूचना परीक्षा की तारीख से लगभग 02 सप्ताह पहले केरिपुबल की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पहले केरिपुबल की वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं मिलता है, तो उसे अपना आवेदन जमा करने के प्रमाण के साथ तुरंत हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। ऐसा करने में विफलता उसे किसी भी दावे पर विचार करने से वंचित कर देगी।

13.5 केरिपुबल से किसी भी पत्राचार को संबोधित करते समय अभ्यर्थी को नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। इन विवरणों को प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.6 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण से 02 सप्ताह पहले केरिपुबल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र का 02(दो) रंगीन प्रिंट आउट लाना होगा।

13.7 केरिपुबल की वेबसाइट से सीबीटी,पीएसटी/पीईटी/दस्तावेजीकरण, ट्रेड टेस्ट और डीएमई/आरएमई के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में,

अभ्यर्थियों को सीबीटी,पीएसटी/पीईटी/ ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन/डीएमई/आरएमई जो भी चरण लागू हो से कम से कम एक सप्ताह पहले केरिपुबल से संपर्क करना चाहिए। प्रवेश पत्र न मिलने की स्थिति में अभ्यर्थी केरिपुबल हेल्पलाइन नंबर 011- **26160255 पर संपर्क कर सकते हैं**। (केवल कार्य दिवसों पर 1000 से 1800 बजे तक)

13.8 प्रवेश पत्र के अतिरिक्त, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो,निम्नलिखित मूल वैध फोटो-पहचान प्रमाणों में से एक लाना अनिवार्य है, जिसमें जन्म तिथि हो जैसा कि प्रवेश पत्र पर छपी है, जैसे:

13.8.1 आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,

13.8.2 मतदाता पहचान पत्र,

13.8.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

13.8.4 पैन कार्ड,

13.8.5 पासपोर्ट,

13.8.6 नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/पीएसयू/प्राईवेट),

13.8.7 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र

13.9 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्म तिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज उनकी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में मेल न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.10 परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी लाएंगे।

13.11 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

14. चयन का तरीका :

14.1 भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी, पीएसटी/पीईट, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) शामिल होगी।

14.2 सीबीटी में नीचे उल्लिखित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शॉर्टलिस्ट करने के लिए पात्र माना जाएगा :

सिपाही (तकनीकी / ट्रेड्समैन) के लिए		सिपाही (पायनियर विंग) के लिए	
अनारक्षित	30%	अनारक्षित	35%
ईडब्ल्यूएस/ओबीसी	25%	एससी/एसटी/ओबीसी/ईड ब्ल्यूएस	33%
अन्य सभी श्रेणियां	20%		

14.3 सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में उपस्थित होने के लिए सीबीटी में उनकी योग्यता के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा । पीएसटी/पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों **की संख्या कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनकी मेरिट, रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 गुना होगी** और ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों **की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 गुना होगी** और दस्तावेज़ सत्यापन और **डीएमई/आरएमई के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 2/3 गुना होगी।** तदनुसार प्रवेश पत्र सीआरपीएफ की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

14.4 दस्तावेज़ सत्यापन (अर्थात अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का संग्रह और मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्यापन) विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के साथ अधिकारियों के बोर्ड (बीओओ) द्वारा किया जाएगा।

14.5 कंप्यूटर आधारित टेस्ट में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए सामान्यीकृत अंकों के आधार पर, प्रत्येक श्रेणी में अर्थात अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम से संबंधित उम्मीदवारों का अंतिम चयन, प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग किया जाएगा। ।

14.6 अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई जानकारी और बाद में डीएमई/दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक अधिवास प्रमाण पत्र के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। **अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में अधिवास राज्य और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के विषय में जानकारी प्रदान करते समय बहुत ही सावधानी और तत्परता के साथ करनी चाहिए। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित राज्य और डीएमई/दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिवास प्रमाण पत्र में कोई भिन्नता होती है, तो उनकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी परीक्षा ।**

14.7 अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,ईडब्ल्यूएस और ईएसएम अभ्यर्थी ,जो अन्य समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट के बिना अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं ,को रिक्तियों के आरक्षित हिस्से में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता)मेरिट (में उनकी स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग , ईडब्ल्यूएस और ईएसएम अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा।

14.8 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम अभ्यर्थी जो आयु सीमा, लंबाई और सीना माप, अनुभव या योग्यता, अवसरों की अनुमत संख्या आदि मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रदान किए गए हैं उससे उनके विचार करने के लिए एक्सटेंडेट जोन ज्यादा होने पर भले ही उसका / उसकी योग्यता)मेरिट (स्थिति में कुछ भी हो, ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम उम्मीदवार को आरक्षित रिक्तियों के लिए माना जाएगा। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों/ट्रेडों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की आयु में से की गई सैन्य सेवा की कटौती स्वीकार्य है और इस तरह की छूट को आयु के संबंध में शिथिल मानकों के रूप में नहीं माना जाएगा।

14.9 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि सत्यापन पर, सीबीटी, पीएसटी/ पीईटी, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा से पहले या बाद में और साथ ही नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने/सीआरपीएफ में शामिल होने के बाद, किसी भी समय सत्यापन करने यह पाया जाता है कि वे इनमें से पात्रता की किसी शर्तें को पूरा नहीं करते हैं, तो पद के लिए उनकी उम्मीदवारी/ चयन सीआरपीएफ द्वारा रद्द कर दी जाएगी। जाएगा।

14.10 परीक्षा में सफलता मिलने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार इस तरह की जांच के बाद इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए हर तरह से उपयुक्त है।

14.11 यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो जाता है और अंतिम परिणाम घोषित होने के 03 महीने की अवधि के भीतर सीआरपीएफ से कोई पत्र प्राप्त नहीं करता है, तो उसे तुरंत भर्ती निदेशालय सीआरपीएफ हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना चाहिए।

15. **बराबरी (टाई) मामलों का समाधान:** सीबीटी में अभ्यर्थियों के स्कोर में बराबरी (टाई) होने की स्थिति में, ऐसे मामलों को दिए गए क्रम में एक के बाद एक, निम्नलिखित मानदंडों को लागू करते हुए, जब तक कि बराबरी (टाई) का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक हल किया जाएगा:

15.1 सीबीटी के भाग-'ए' में अंक।
15.2 सीबीटी के भाग-'बी' में अंक।
15.3 जन्म तिथि, आयु में बड़े अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
15.4 नामों का वर्णानुक्रम।

16. **<u>कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई</u>** :-

16.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान नीचे सूचीबद्ध किसी भी कदाचार में किसी भी स्तर पर संलिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें नीचे उल्लिखित अवधि के लिए सीआरपीएफ के लिए परीक्षा से वर्जित कर दिया जाएगा:-

क्र.सं.	कदाचार का प्रकार	वर्जित अवधि
1	परीक्षा से संबंधित कोई भी सामग्री जैसे रफ सीट, प्रवेश पत्र की प्रति आदि परीक्षा हॉल से ले जाना या परीक्षा के संचालन के दौरान अनधिकृत व्यक्तियों को देना।	02 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना बताए परीक्षा स्थल को छोड़ना ।	2 वर्ष
3	परीक्षा पदाधिकारियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या सीआरपीएफ के प्रतिनिधि आदि के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार, डराना या धमकी देना।	03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा डालना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना।	03 वर्ष
5	ऐसे बयान देना जो गलत या झूठा है, तात्विक सूचना को छुपाना, झूठा दस्तावेज जमा करना आदि।	03 वर्ष
6	अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन/प्रभाव प्राप्त करना।	03 वर्ष
7	'' स्विच ऑन'' या '' स्विच ऑफ'' मोड में मोबाइल फोन रखना।	03 वर्ष
8	नियमों के विपरीत एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित होना।	03 वर्ष
9	एक उम्मीदवार जो उसी परीक्षा में, परीक्षा से संबंधित मामलों पर भी काम कर रहा है।	03 वर्ष
10	परीक्षा संबंधी आधारभूत संरचना/उपकरण क्षतिग्रस्त करना।	05 वर्ष
11	जाली प्रवेश पत्र, पहचान प्रमाण आदि के साथ परीक्षा में शामिल होना।	05 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों / हथियारों का रखना।	05 वर्ष
13	परीक्षा पदाधिकारियों यानि पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या सीआरपीएफ के प्रतिनिधि आदि पर हमला, बल प्रयोग, किसी भी तरह से शरीरिक नुकसान पहुंचाना।	07 वर्ष
14	परीक्षा अधिकारियों को हथियारों/आग्नेयास्त्रों से डराना/ धमकाना।	07 वर्ष
15	परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना, किसी कागज या शरीर के अंगों पर लिखित सामग्री आदि का उपयोग करना।	07 वर्ष
16	परीक्षा हॉल में ब्लूटूथ डिवाइस, जासूसी कैमरे और किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना।	07 वर्ष
17	प्रतिरूपण करना/किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण प्राप्त करना।	07 वर्ष
18	स्नैपशॉट लेना, प्रश्न पत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि के वीडियो बनाना।	07 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/ऐप्स /लैन/वैन, आदि के माध्यम से टेस्ट टर्मिनल साझा करना।	07 वर्ष

20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या बाद में किसी भी समय परीक्षा सर्वर, डेटा और परीक्षा प्रणाली को हैक करने या हेरफेर करने का प्रयास।	7 वर्ष

16.2 सीआरपीएफ मामले की सूचना पुलिस/जांच एजेंसियों को भी दे सकता है, जैसा कि उचित समझा जाए।

17. **<u>अंतिम निर्णय</u>** :-चयनित अभ्यर्थियों के लिए उनकी पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना देने के लिए दंड, चयन का तरीका, परीक्षा के संचालन, परीक्षा केन्द्र के आवंटन, कदाचार में लिप्त होने पर वर्जित करना, योग्यता सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में सीआरपीएफ का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. **<u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>**: इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद उस न्यायालय/ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा जिसके अंतर्गत सीआरपीएफ की परीक्षा का स्थान जहां अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा(सीबीटी) में शामिल हुए हैं आता हो।

19. यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद सीआरपीएफ अपने पोर्टल पर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक और रैंकिंग उपलब्ध कराएगी।

20. <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:</u>

20.1 जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि, अधिवास, माता-पिता का नाम ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन से मेल नहीं खाती हो उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

20.2 जिन अभ्यर्थियों के एलटीआई, हस्ताक्षर, लिखावट और फोटो इनमें से कोई भी एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा एवं और आवेदकों द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए डेटा से मेल नहीं खाता है, और परीक्षा के किसी भी स्तर पर मिलान नहीं होने पर उन्हें संदिग्ध अभ्यर्थियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारी तय करने के लिए सीआरपीएफ संबंधित अधिकारियों/ फॉरेंसिक विशेषज्ञों आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकती है।

21.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित को बहुत सावधानी से पढ़ें:-

1.	आवेदन करने से पहले, अभ्यथियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि समापन दिन के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण सीआरपीएफ की वेबसाइट से डिस्कनेक्ट/ असमर्थता या लॉगिन करने में विफलता की संभावना से बचा जा सके।
3.	भर्ती बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनका सत्यापन किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से देखना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आवेदित पद के लिए पात्र हैं। जब दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेजों की जांच की जाती है, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
4.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / ईएसएम के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ या परीक्षा की सूचना के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण / छूट के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में

	प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
5.	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति से संबंधित एक अभ्यर्थी, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर, एक जानकारी उपरांत विकल्प बनाना होगा कि मूल राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है या प्रवासन के राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में शामिल होना है। इस तरह के विकल्प का प्रयोग अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद ऐसे विकल्प में बदलाव के लिए कोई अनुरोध सीआरपीएफ द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो उसे आवेदन पत्र में जिले और वर्तमान अधिवास की स्थिति के साथ-साथ अपने मूल जिले और राज्य के बारे में जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में उनकी उम्मीदवारी पर मूल राज्य से विचार किया जाएगा।**
6.	**दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**
7.	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि सीआरपीएफ द्वारा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है।
8.	**देय शुल्क:-** केवल सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु. 100/- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी श्रेणियों से संबंधित महिला अभ्यर्थियों को छूट दी गई है।
9.	अभ्यर्थी को अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम ठीक उसी तरह लिखना चाहिए जैसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिया गया है अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय या सीआरपीएफ की जानकारी में आने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
10	उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप (50 केबी से 100 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करने की आवश्यकता है। फोटोग्राफ तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और जिस तारीख को फोटोग्राफ लिया गया है वह फोटोग्राफ पर स्पष्ट रूप से मुद्रित होना चाहिए। फोटोग्राफ पर मुद्रित ऐसी तारीख के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। फोटोग्राफ की छवि की माप लगभग 35 मिमी (चौड़ाई) x 45 मिमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी, चश्मा का होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। यदि उम्मीदवार द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं किया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
11	**उम्मीदवारों को बहुत सतर्क रहना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवास राज्य और जिले के बारे में जानकारी प्रदान करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र जमा करने के बाद सीआरपीएफ द्वारा अधिवास राज्य और जिले के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के समय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिवास प्रमाण पत्र में उम्मीदवार द्वारा उल्लेखित जिले और राज्य में कोई भिन्नता है, तो उनकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
12.	**एक अभ्यर्थी को केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति है।** परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। **यदि एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।** यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा

	करता है और परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
13.	**अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक फील्ड में सही विवरण भरा है। अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन को तुरन्त नामंजूर कर दिया जाएगा।**
14.	धुंधले/अस्पष्ट फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को तुरन्त नामंजूर कर दिया जाएगा।
15.	जब आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, तो इसे 'अस्थायी रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए। आम तौर पर, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट किसी भी स्तर पर सीआरपीएफ को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
16.	अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटोग्राफ और एक मूल फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय / कॉलेज / सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र, परीक्षा स्थल पर ले जाना चाहिए, जिसके नहीं होने पर उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। **यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि मुद्रित नहीं है**, **तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में मेल न होने की स्थिति में**, **अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
17.	किसी भी गणमान्य व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/जाली आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा और आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
18.	अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि वे योद्धक बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। भारत सरकार/सीआरपीएफ/भर्ती केंद्र ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।
19.	परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए सीआरपीएफ की वेबसाइट http://www.crpf.gov.in देखें।
20.	परीक्षा के किसी भी चरण के प्रवेश पत्र से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए, अभ्यर्थी संबंधित भर्ती केंद्र या भर्ती शाखा, ईस्ट ब्लॉक नंबर **7**, तल -**4**, सेक्टर -**01**, आर.के. पुरम, नई दिल्ली की हेल्पलाइन नंबर **011-26160255** पर संपर्क कर सकते हैं।
21.	शारीरिक मापतौल टेस्ट के लिए अपीलीय अधिकारी संबंधित भर्ती केंद्र के ग्रुप केंद्र के उप महानिरीक्षक होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी पीएसटी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है / सहमत नहीं है, तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में कोई और अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। **पीईटी(दौड़) के विरूद्ध कोई अपील नही होगा।**

22.	यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ लेने के लिए जानबूझकर सिर में चोट (उभार/सूजन) करता है या सिर पर अम्लिका(टैमरिंड) रखता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
20	पीईटी के दौरान किसी भी ऊर्जावान दवा के प्रभाव में पाए जाने वाले किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
23.	यदि परीक्षा के किसी भी चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हक नहीं है, तो उसे परिणाम घोषित होने के 05 दिनों के भीतर या परीक्षा के अगले चरण के आयोजन से 05 दिन पहले, जो भी पहले हो, संबंधित भर्ती केन्द्र में अभ्यावेदन करना चाहिए।
24.	यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो जाता है और परिणाम घोषित होने के 03 महीने की अवधि के भीतर सीआरपीएफ से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तुरंत संबंधित भर्ती केंद्र से संपर्क करना चाहिए।
23.	अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक चरण के समय प्रवेश पत्र का दो रंगीन प्रिंट आउट लाना चाहिए। प्रवेश पत्र की एक प्रति परीक्षा केंद्र को सौंपना होता है।
25.	अपना आवेदन पंजीकृत करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, सिपाही (तकनीकी एवं ट्रेड्समैन) परीक्षा - 2022 परीक्षा के दौरान शामिल होने वाले पद का नाम चुनें। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने पद की पात्रता मानदंड को पढ़ और समझ लिया है और आवेदित पद के लिए सभी शर्तो को पूरा करते हैं। बाद में, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर, यदि यह पाया जाता है कि आप पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, या किसी भी तथ्य को छुपाने के दोषी पाए जाते हैं, तो विभाग द्वारा परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
26.	यह विभाग आवेदन पत्र में किसी विशेष फील्ड में किसी भी सुधार/जोड़ने/हटाने की स्वीकृति न देने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, कारण चाहे जो भी हो।
27.	अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से उस पद/ट्रेड का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन कर रहे हैं।
28.	नियुक्ति अभ्यर्थियों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट किए जाने और अन्य सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी।
29.	सभी पद वर्दीधारी है। चयनित अभ्यर्थियों को सीआरपीएफ के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान/ग्रुप केन्द्र में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इस विषय पर सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों के अनुसार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने में विफल रहने वालों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
30.	आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति, शारीरिक/चिकित्सा मानक आदि के संबंध में पात्रता मानदंड की अंतिम जांच चिकित्सा परीक्षा के समय और बल में शामिल होने के समय भी की जाएगी। इसलिए, एक अभ्यर्थी की उम्मीदवारी बल में शामिल होने तक केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा/बल में शामिल होने के समय जब जांच की जाती है और यदि आवेदन में किए गए किसी दावे की पुष्टि नहीं होती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में केरिपुबल का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही बल में शामिल होने के बाद, जन्मतिथि/शिक्षा/जाति/अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता/ वास्तविकता संबंधित बोर्ड/प्राधिकरण/संस्थान से सत्यापित की जाएगी और किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाए जाने पर, बिना कोई कारण बताए संबंधित अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
31.	भर्ती और परीक्षा/परिणाम आदि के संबंध में विज्ञापन में कोई भी संशोधन या अपडेट केवल सीआरपीएफ की वेबसाइट **www.crpf.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

32.	संबंधित श्रेणी में छूट केवल उन मामलों को दी जाएगी जहां आवेदन किए गए पद के लिए संबंधित श्रेणी में रिक्तियां उपलब्ध हैं। यदि पद में संबंधित श्रेणी की रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं और अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में छूट नहीं ले रहा है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। जहां भूतपूर्व सैनिक/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी की रिक्ति उपलब्ध नहीं है और अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर खारिज कर दी जाएगी। हालांकि, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के आवेदन उनकी श्रेणी या विशेष श्रेणी में रिक्ति के बावजूद स्वीकार किए जाएंगे।
33.	**दलालों से सावधान रहें। सीआरपीएफ में भर्ती के लिए पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने किसी को भुगतान किया है या पैसे देने का वादा किया है, तो आपके साथ धोखा हो रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपका चयन करवाने के लिए पैसे की मांग करता है तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पीओ), संबंधित भर्ती केंद्र के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें।**

gLrk{kj 15@03@2023
(एन. के. सिंह)
उपमहानिरीक्षक (भर्ती) महानिदेशालय

अनुलग्नक -I

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

आवेदन करने के चरण:

I	अभ्यर्थियों के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसे पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए। आवेदन क्रम संख्या, पासवर्ड और अन्य सभी महत्वपूर्ण सूचना/अलर्ट इसी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे (कृपया सुनिश्चित करें कि इस मेल बॉक्स पर भेजा गया ई-मेल आपके जंक/स्पैम फ़ोल्डर पर पुन: निर्देशित नहीं किया गया है)।
II	ऑन-लाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। आप चरण-। और चरण-॥ जमा करने से पहले जानकारी संशोधित कर सकते हैं। एक बार फॉर्म जमा हो जाने के बाद, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।
III	आवेदन पत्र जमा करने की चरण दर चरण प्रक्रिया नीचे दी गई है: चरण- ।: व्यक्तिगत और संपर्क विवरण का पंजीकरण। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। चरण- ॥: फिर से लॉगिन करें और श्रेणी का चयन करें और व्यक्तिगत विवरण, अर्हता विवरण भरें, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें और "भर्ती प्रोसेसिंग शुल्क" और परीक्षा शुल्क (यदि लागू हो) सभी अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया जाना है, चाहे कोई भी श्रेणी हो, नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से एसबीआई एमओपीएस के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें।
IV	एक बार जमा किया गया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता है और एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, यह न तो किसी अन्य भर्ती के लिए आरक्षित रखा जाएगा और न ही भविष्य में चयन प्रक्रिया के लिए।
चरण- । पंजीकरण:	
ए.	नियम और शर्तों से सहमत अभ्यर्थी नीचे दिए गए 'मैं सहमत हूं' चेकबॉक्स पर क्लिक करके और 'स्टार्ट' बटन दबाकर आवेदन कर सकते हैं।
बी.	अभ्यर्थियों को सभी वांछित जानकारी अर्थात व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण आदि को सही ढंग से भरना चाहिए।
सी.	चरण- । पंजीकरण पूरा होने पर, अभ्यर्थी की पंजीकृत ईमेल आईडी में एक सूचना प्राप्त होगा जिसमें उनकी लॉगिन आईडी (आवेदन क्रम संख्या) और पासवर्ड होगा।
डी.	आवेदन पत्र में (चरण- ॥ के लिए) अन्य विवरण भरने के लिए अभ्यर्थियों को लॉग-आउट और फिर से लॉग-इन करना होगा।
चरण- ॥ आवेदन पत्र पूरा करना:	
ई.	पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थी को लॉगिन करना होगा और आवेदन पत्र में अन्य विवरण जैसे व्यक्तिगत विवरण, अर्हता संबंधी विवरण और घोषणा आदि को पूरा करना होगा।
एफ.	फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करने संबंधी निर्देश: अभ्यर्थी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई (डिजिटल) इमेज अपलोड करें। आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि केवल जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप ही स्वीकार्य है: फोटोग्राफ छवि: • रंगीन फोटो 35 मिमी आकार के (चौड़ाई) 45 मिमी. (ऊंचाई) के 03 महीने से अधिक पुराना नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो स्वीकार नहीं की जाएगी। • हल्की पृष्ठभूमि(बैकग्राउंड)। हल्के ग्रे/सफेद रंग का सुझाव दिया जाता है। कोई पैटर्न नहीं। • फोटो का 70-80% हिस्सा चेहरे से कवर होना चाहिए। आवेदक को सामान्य हाव-भाव के साथ सीधे कैमरे की ओर देखना चाहिए। • पृष्ठभूमि(बैकग्राउंड) से मेल खाते रंगों की एकरूपता से बचें।

	• यदि आवेदक ऑप्टिकल चश्मा पहनता है, तो उसका/उसकी आंखें पूरी तरह से दिखाई देनी चाहिए। • स्कैन की गई छवि का आकार केवल जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में 50-100 केबी के बीच होना चाहिए। ii. हस्ताक्षर की इमेज: • आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करना होगा। • हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। **कृपया हस्ताक्षर क्षेत्र को ही स्कैन करें पूरे पृष्ठ को नहीं**। • फ़ाइल का आकार केवल जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में 50-100 केबी के बीच होना चाहिए।
जी.	एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक गेटवे पर स्वचालित रूप से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई/चालान आदि के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले भर्ती प्रोसेसिंग रु.500 तथा 100/-शुल्क (यदि लागू हो) (साथ में बैंक शुल्क, यदि लागू हो) का परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए पुन: निर्देशित किया जाएगा। अभ्यर्थी भविष्य के संदर्भ के लिए भुगतान पावती पर्ची निकाल(जेनरेट) सकते हैं।
एच.	शुल्क प्रेषित करने के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं: • जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक गेटवे पर ऑनलाइन भुगतान करने के लिए पुनः निर्देशित किया जाएगा। • कृपया विवरण सत्यापित करें और विभिन्न भुगतान मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। • सफल ऑनलाइन भुगतान के बाद, अभ्यर्थी को उसका/उसकी आवेदन पत्र पर पुन: निर्देशित किया जाएगा।
आई.	भविष्य के सभी संदर्भों के प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अपने आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट अपने पास रखें।
जे.	**ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तकनीकी पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए, कृपया बेझिझक होकर हेल्पडेस्क पर ईमेल: helpdesk.bharti@nic.in या फोन नंबर 02261087529 (1000 से 1800 कार्य दिवस) पर संपर्क करें।**

gLrk{kj 15@03@2023
(एन. के. सिंह)
उपमहानिरीक्षक (भर्ती) महानिदेशालय

<u>अनुलग्नक - II</u>

<u>सेवारत सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र</u>

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि, मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार (संख्या) ______________________________ (रैंक) ________________नाम) __________________ दिनांक _________को सशस्त्र बलों के साथ उनकी नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने वाली है।

स्थान : कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक : कार्यालय मुहर:

अनुलग्नक-III

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध प्रमाण पत्र

मैं समझता हूं कि, यदि भर्ती/परीक्षा, जिससे आवेदन संबंधित है, के आधार पर चयन किया जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत रूप से मुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और मैं भूतपूर्व सैनिकों (केंद्रीय सिविल सेवाओं में पुन: रोजगार और पद नियम, 1979, समय-समय पर संशोधित) के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।

मैं यह भी समझता हूं कि मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय सिविल क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य आरक्षण रिक्तियों की रियायत का लाभ उठाकर (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि) में कोई रोजगार प्राप्त किया है।

मैं आगे निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूं:

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि ---

ख) सेवामुक्ति की तिथि---

ग) सशस्त्र बल में सेवा की अवधि---

घ) मेरी आखिरी यूनिट / कोर---

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

स्थान : दिनांक:

अनुलग्नक-IV

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र

उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में जिला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या ऐसे जिले जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) आमतौर पर निवास करते हैं, नीचे दिए गए किसी अन्य अधिकारी जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है, से एक प्रमाण पत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार आमतौर पर उस जिले में निवास करता हो अन्यथा उम्मीदवार स्वयं अपनी शिक्षा के उद्देश्य से रहता हो। जहां भी फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग है, आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल सत्यापित फोटोकॉपी ही स्वीकार करेगा और कोई अन्य प्रमाणित या सत्य प्रतिलिपि नहीं।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.......................... ....सुपुत्र/सुपुत्री.................................ग्राम/नगर*......................................जिला/मण्डल*........... ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..............................के निवासी....................जाति/जनजाति से संबंधित है जोकि निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

* संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश , 1951*

..............* संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*......................

(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन)आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, एवं पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन)अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.............

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।

संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1990@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अध्यादेश 1991@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अध्यादेश , 1996

%2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य में प्रवासित हुए हैं, के मामले में लागू।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.................................के माता/पिता. श्री/श्रीमती----------------- ग्राम/नगर*......................................जिला/मण्डल*..........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*............................. को .... के द्वारा दिनांक.......................के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जो उस जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे राज्य /संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, के आधार पर जारी किया जाता है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी*..........................और/या उसका परिवार सामान्यत: .... ग्राम/नगर*...................... जिला/मंडल*............. राज्य/संघ राज्य* क्षेत्र में निवास करता/करती है।

हस्ताक्षर

स्थान : .... **पदनाम--------------------

दिनांक : .... (कार्यालय की मोहर सहित)

* जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें।

@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश को दर्शाए।

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे हटा दें।

टिप्पणी :- यहॉं ''सामान्यत: निवास करते हैं'' का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

****अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट /कलेक्टर/उपायुक्त /अपर उपायुक्त /डिप्टी कलेक्टर /प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट /उप मंडल मजिस्ट्रेट अतिरिक्त सहायक आयुक्त /तालुका मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।

(iii) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसलीदार से कम न हो।

(iv) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्य तौर पर निवास करता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडू राज्य के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

****

<u>अनुलग्नक –V</u>

<u>(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र)</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी--------- पुत्र/पुत्री------------- गांव/कस्बा----------------जिला/संभाग------------ के -राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .... में----------समुदाय से संबंधित है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक-- - --------के संकल्प सं.--------- तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी------------- और/या उनका/उनका परिवार आमतौर पर --------------राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के ----------- जिला/संभाग में रहता/रहती है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के अनुसूची के कॉलम 3, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था(एससीटी) दिनांक 08.09.1993** में वर्णित अनुसार व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

जिला मजिस्ट्रेट
उपायुक्त आदि।

दिनांक:

मुहर:

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

**जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

अनुलग्नक-VI

लंबाई या सीना के माप से छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री-----------------------------सुपुत्र श्री---------------ग्राम--------------तहसील/तालुका -----------------जिला-------------राज्य ----------------का स्थायी निवासी है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

*गढवाली, कुमाउंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी।

*पूर्वोत्तर के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थी और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी , जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप मंडल नामतः दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग तथा इन जिलों के निम्नलिखित ßमौजाÞ उप-मंडल शामिल हैं:-

(1) लोहागढ़ चाय बागान (2)लोहागढ़ फॉरेस्ट (3) रंगमोहन (4)बाराचेंगा (5)पानीघाटा (6)छोटा अदलपुर (7) पहाड़ (8)सुकना फॉरेस्ट (9) सुकना भाग (10) 1-पंतापति फॉरेस्ट (11) 1- महानदी फॉरेस्ट (12) चंपासरी फॉरेस्ट (13) सालवारी छत भाग (14) 2-सितोंग फॉरेस्ट (15) सिवोके पहाड़ी फॉरेस्ट (16) सिवोके फॉरेस्ट (17) छोटा चेंगा (18)निपनिया

*वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट /
उप मंडल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

स्थान :-.................
दिनांक ....
*जो लागू न हो उसे मिटा दें।

अनुलग्नक-VII

............................सरकार

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र) प्रमाण पत्र संख्या .... तिथि...............

.... वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी........... ....ग्राम/गली ....डाकघर ....जिला................ का स्थायी निवासी ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में.......................... पिन कोड........... ....जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके 'परिवार' ** की सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष ....के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उसके परिवार के स्वयं का या अपने पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है ***:

I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक

II. 1000 वर्गफुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..जोकि ....जाति के हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मोहर के साथ
हस्ताक्षर...........
नाम...
पदनाम...

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

* टिप्पणी .1 : आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

** टिप्पणी .2 : इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

** टिप्पणी .3 : ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा गया है।

टिप्पणी .4: **आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची:-**

जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर /उपायुक्त /अपर उपायुक्त / डिप्टी क्लेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त-सहायक उपायुक्त /तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट, या मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, या राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो या अभ्यर्थी तथा/या उसका परिवार आमतौर पर जहां निवासरत हो उस क्षेत्र का उप मंडल अधिकारी

<u>अनुलग्नक-VIII</u>

<u>केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए</u>

<u>सिपाही(तकनीकी/ ट्रेड्समैन) परीक्षा-2023</u>

फॉर्म संख्या सीएपीएफ/रैंक(कैडर)/1 अनफिट ज्ञापन

विषय:- **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ) में ....(रैंक) के पद के लिए डीएमई में अनफिट पाए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण का पुनरीक्षण।**

श्री/सुश्री...................रोल नंबर................ को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि पद...................... (रैंक) पर भर्ती के लिए......................को.................... पर उसकी चिकित्सकीय जांच की गई है और नीचे उल्लिखित कारणों से उसे अनफिट पाया गया है:-

i) ....
ii) ....
iii) ....
iv) ....

4. आपको एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिए गए सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करके पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरएमई दिनांक .... को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आपको....................... बजे रिपोर्ट करना आवश्यक है।

दिनांक ....
केंद्र...........

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम..............
मुहर...............

पीठासीन अधिकारी के मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर ।
चिकित्सा परीक्षण का परिणाम प्राप्त किया
उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर

<u>केवल अभ्यर्थी के उपयोग के लिए</u>

सेवा में

भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी
....
....

विषय: पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण के लिए आवेदन पत्र।

महोदय,

मैं, एतदद्वारा पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

स्थान ....
दिनांक..............

हस्ताक्षर ....
नाम ....
रोल नंबर.................

(...)

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित ....

अनुलग्नक –IX

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए - घोषणा/वचनबंध प्रमाण पत्र

मैं-------------------सुपुत्र/सुपुत्रीश्री-----------------------निवासी ग्राम/कस्बा/नगर------------------जिला-- ---- -------राज्य---------------- एतद द्वारा घोषणा करता हूॅ कि मैं ------------------------ समुदाय से संबंधित हूं जिसे भारत सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt (SCT), दिनांक 8/9/1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है । यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8/9/1993 के कॉलम 3 में उल्लिखित जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9/3/2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-Estt(Res) द्वारा यथा संशोधित के तहत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :
*अभ्यर्थी द्वारा बिना हस्ताक्षरित घोषणा/वचनबंध प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।